वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

परिपत्र सं० 411

No. 5-1(25)/2008-PD

Dated 16th July, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

सी.एस.आई.आर के सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन संवर्ग बाह्य पदों तथा केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत निकायों के लिए विदेशी सेवा के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति ।

Sub. : Deputation of Central Government Employees to ex-cadre posts under Central/State Government and on Foreign Service to Central/State PSUs/Autonomous Bodies.

महोदय/Sir,

मुझे भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक **07.01.2008** के कार्यालय ज्ञापन सं. **6/7/2003-स्था. (वेतन-II)** की प्रति आपको सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith a copy of Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions (Department of Personnel & Training) O.M. No. **6/7/2003-Estt.(Pay-II)** dated **07.01.2008** information, compliance and necessary action.

भवदीय,

(पी.मनीषा सिंघाडोर)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एंव लेखा अधिकारी/ वित्त एंव लेखा अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. महानिदेशक, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
4. अवर सचिव तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सी.एस.आई.आर के निजी सहायक
6. मुख्या सतर्कता अधिकारी, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
7. अवर सचिव (के.का.)/वरिष्ठ उप सचिव(काम्पलैक्स)
8. प्रधान, यू.आर.डी.आई.पी/आई.पी.एम.डी/एच.आर.डी.सी/आर.डी.पी.डी/टी.एन.बी.डी/इस्टेड
9. विधि सलाहकार, सी.एस.आई.आर मुख्यालय के निजी सचिव
10. सी.एस.आई.आर मुख्यालय के सभी वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
11. प्रधान, आर.ऐ.बी, सी.एस.आई.आर काम्पलैक्स
12. डॉ आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जे.सी.एम, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (now IITR), महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 80, लखनऊ
13. प्रधान, आई. टी. प्रभाग - इस अनुरोध से कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

सं. 6/7/2003-स्था.(वेतन-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन संवर्ग बाह्य पदों तथा केन्द्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए विदेशी सेवा के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति ।

इस विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के का.ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था.(वेतन.II) का हवाला दिया जाता है जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन संवर्ग बाह्य पदों तथा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए विदेशी सेवा के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश किए गए हैं ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8.4 में निर्धारित किया गया है कि ऐसे मामलों मे जहाँ विस्तार पाँचवे वर्ष से आगे के लिए हो या भर्ती नियमों में निर्धारित अवधि से दूसरे वर्ष के अतिरेक में हो, तो उसकी अनुमति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का अनुमोदन लेने के बाद ही दी जा सकती है चाहे केन्द्र सरकार देने वाला संगठन हो या आदाता संगठन हो ।

3. अब समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि पाँचवे वर्ष से आगे बढ़ाने का संवर्ग बाह्य पदों के लिए भर्ती नियम में निर्धारित अवधि के अतिरेक में दूसरे वर्ष हेतु बढ़ाने के लिए आदाता प्राधिकरणों/प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अधिकार देने का निर्णय लिया गया है । ऐसे मामलों में चौथे वर्ष के लिए या भर्ती नियमों में सामान्य निर्धारित अवधि के अतिरेक में पहले वर्ष के लिए आदाता प्राधिकरण/प्रशासनिक विभाग का सचिव तथा उसके बाद प्रभारी मंत्री प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाने के लिए अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा । तथापि, विस्तार पर विचार करते समय इस विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन में दी गई अन्य शर्तों को ध्यान में रखा जा सकता है तथा निम्नलिखित की विशेष रूप से जाँच की जा सकती है:-

(i) क्या विस्तार प्रदान करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया गया है अर्थात क्या व्यक्ति की सहमति तथा दाता विभाग की सहमति ली गई है ।

... 2/- ...

(ii) क्या अधिकारी को प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान एन.बी.आर. के अन्तर्गत प्रो-फार्मा पदोन्नति दी गई है ।

(iii) यदि मूल संवर्ग/पद का वेतनमान प्रोफार्मा पदोन्नति के बाद उच्चतर हो गया है तो क्या वेतन का विनियमन दिनांक 20 जून, 2007 के साथ पठित दिनांक 5.1.94 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार किया गया है ।

(iv) क्या प्रतिनियुक्ति पर शुरूआती नियुक्ति अपने आप में उच्चतर वेतनमान से निम्नतर वेतनमान में (जो दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है) थी तथा यदि हाँ तो क्या ऐसी नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ले ली गई थी ।

(v) प्रतिनियुक्ति पर अधिक समय तक बने रहने के मामलों में क्या मामलों की जाँच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 नवम्बर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.-ए.बी.-4017:302006-स्था(आर.आर.) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार की जाएगी ।

यदि कोई शर्त पूरी नहीं की जाती है तो प्रस्ताव को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को विचार के लिए भेजा जा सकता है ।

4. ये आदेश जारी होने की तिथि से लागू होंगे । जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे । भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के भीतर प्रतिनियुक्ति का विनियमन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)
निदेशक (वेतन)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

No. 6/7/2003-Estt. (Pay II)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
****

New Delhi dated the 7th January, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Deputation of Central Government Employees to ex-cadre posts under Central/State Governments and on Foreign Service to Central/State PSUs/Autonomous Bodies.

Reference is invited to this Department's O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay II) dated 5th January, 1994 which lays down the guidelines relating to deputation of Central Government Employees to ex-cadre posts under Central/State Governments and on Foreign Service to Central/State PSUs/Autonomous Bodies.

2. Para 8.4 of this O.M. lays down that in cases where extension is beyond the fifth year or second year in excess of the period prescribed in the Recruitment Rules, the same would be allowed only after obtaining the approval of the Department of Personnel and Training, whether Central Government is the lending organization or the borrowing organization.

3. It has now been decided to delegate the powers for extending the deputation in respect of Group 'C' & 'D' officials beyond the fifth year or second year in excess of the period prescribed in the Recruitment Rules of the ex-cadre posts to the Borrowing Authorities/Administrative Ministries/Departments. In such cases, the Competent Authority for granting approval for extending the deputation period would be the Secretary of the Borrowing authority/Administrative Department for the 4th year or the first year beyond the normal period prescribed in the Recruitment Rules and the Minister in charge thereafter. However, while considering the extension, all other conditions laid down in this Department's O.M. dated 5th January, 1994, as amended from time to time, may be taken into consideration and the following may specifically be examined:

(i) Whether the procedure for granting extension has been followed viz. whether the individual's consent and the prior approval of the lending authority has been obtained.
(ii) Whether the officer has been given pro-forma promotion under NBR during the period of deputation.

(iii) If the scale of the parent cadre post has become higher after grant of pro forma promotion, whether the pay has been regulated in terms of Para 8.7 and 8.8 of the O.M. dated 5.1.94 read with O.M. dated 20th June, 2006.
(iv) Whether the initial appointment on deputation itself was from a higher scale to a lower scale (which is not permissible as per the guidelines) and if so whether the approval of the competent authority has been obtained for such an appointment.
(v) In cases of overstay on deputation, the cases may be examined in terms of the provisions laid down in DoP&T's O.M. No. AB.14017/30/2006-Estt. (RR) dated 29th November, 2006.

If any of the conditions are not fulfilled, the proposal may be sent to the Department of Personnel & Training for consideration.

4. These orders will take effect from the date of issue. In so far as the persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders will apply for deputation outside Indian Audit & Accounts Department. Deputations within Indian Audit & Accounts Department will be regulated as per orders issued by the office of the Comptroller & Auditor General of India.

(Rita Mathur)
Director (Pay)

To
All Ministries/Departments of the Government of India